

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0सं0-02/टैक्स माफी -103/2005 परि0

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-1030 दिनांक-03.12.2016 द्वारा मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर के अधीनस्थ वाहन संख्या-BR33C-8093 (चेमरलेट तवेरा) से संबंधित कर गणना अभिलेख संलग्न करते हुए कुल कर अर्थदण्ड सहित 1,20,100.00/- (एक लाख बीस हजार एक सौ) रुपये के कर माफी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उपर्युक्त वाहन से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :-

Sl. No.	Registration No.	Engine Number	Chasis Number	Period of Tax	Amount of Tax in Rs.
1	New Vehicle Chevrolet Tavera	3GF39625	MA6AB6G766HG39983	One Time Tax	1,20,100/-

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910 दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वातंत्र्य वाले मोटर वाहनों को कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने का शक्ति प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यययोजित की गई है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर के उपर्युक्त वाहन के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत संगणित कुल कर 1,20,100.00/- (एक लाख बीस हजार एक सौ) रुपये की विमुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा। साथ ही सड़क सुरक्षा उपकरण से विमुक्ति किये जाने संबंधी प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकरण देय होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 13/11/17

ज्ञापांक-02/टैक्स माफी -103/2005 परि0

138

प्रतिलिपि - जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर/ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

निबंधित

Email